प्रकरण संख्या 75/2021 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. मोहम्मद हनीफ पिता मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा।
2. मोहसीन खां पिता मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा।
3. अंजुम पुत्री मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा।
4. तरन्नुम पुत्री मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा।
5. तब्बसुम पुत्री मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा।
6. जुलेखा पुत्री मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा।
7. सईदा बी पत्नी मोहम्मद हमीद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेडा। (विलोपित आदेश 08.04.2024)

–वादी

बनाम

1. आंनन्दी पत्नी बरकत जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा (विलोपित आदेश 21.12.2023)
2. जेम्स पुत्र प्यारा जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
3. जोर्ज पुत्र प्यारा जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र चांदमल जाति जैन निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. बेन्जामिन पुत्र सुशील जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
6. माया पुत्री प्यारा जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
7. शालीन पुत्री प्यारा जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
8. योएल पुत्र केशुराम जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
9. राकेश पुत्र केशुराम जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
10. विनोद पुत्र केशुराम जाति ईसाई निवासी पिपलिया कलां तहसील निम्बाहेड़ा।
11. रामचंद्र पुत्र चंपालाल जाति कीर निवासी कीरखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– 1– श्री सहादत अली – अधिवक्ता वादीगण

<u>:: निर्णय ::</u> दिनांक :–22.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री सहादत अली वादीगण अधिवक्ता पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार [illegible] हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र अंतर्गत धारा [illegible] 188 [illegible] काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 272 की आराजी नंबर 108 रकबा [illegible] हैक्टेयर, आराजी नंबर 54 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 58 रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.1200 हैक्टेयर भूमि का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 31.05.2024 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 04.07.2024 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

1. श्री मोहम्मद हनीफ, मोहसीन खा, अंजुम, तरन्नुम, तब्बसुम, जुलेखा पिता मोहम्मद हमीद खां सा. निम्बाहेड़ा।

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान	किस्म
58	0.38	2.66	ब.3
54	0.02	0.10	ब.4
कुल किता–2	0.40	2.76	

2 श्री आनंदी पत्नी बरकत 40/172, जेम्स पुत्र प्यारा, जोर्ज पुत्र प्यारा 6/172, बेंजामिन पुत्र सुशील 6/172, माया पुत्री प्यारा 6/172, योएल पुत्र केशुराम 13/172, राकेश पुत्र केशुराम 13/172 इसाई, रामचंद्र पुत्री चंपालाल 19/172 कीर, विनोद पुत्र केशुराम 13/172, शालीन पुत्री प्यारा 6/172 ईसाई अवंती पत्नी रमेश 46/172 मीणा सा. देह रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान	किस्म
108	1.45	27.55	चाह 3
54	0.27	1.35	ब.4
किता–2	1.72	28.90	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत्.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.08.2024 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
मुहर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	————	————	महनताना वकील	————	————
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested